न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 365/2016
पंजीयन दिनांक 15.09.2016

लक्ष्मीनारायण पिता परथा जाति सुथार निवासी कोटडीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). मोहनलाल पिता परथा जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राधेश्याम पिता परथा जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(3). कमला बाई पुत्री परथा पत्नी हीरालाल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां हाल भावलीया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(4). शान्ती बाई पुत्री परथा पत्नी छगनलाल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां हाल उंखलीया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(5). मुकेश पिता केसरीमल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(6). अन्नु पुत्री केसरीमल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(7). कृष्णा पुत्री केसरीमल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(8). जशोदा पुत्री केसरीमल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(9). राधाबाई पत्नी स्व0 केसरीमल जाति सुथार निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(10). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
प्रकरण संख्या 149/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थित वक्त बहस-(1). ललित शर्मा-अधिवक्ता अपीलांट

(2). भगवतसिंह गिलुण्डिया- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

(3). रेस्पोडेन्टगण सख्या 2 से 9- बावजूद सूचना अनुपस्थित

(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10

निर्णय **दिनांक 21.11.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 249 मे दर्ज आराजी संख्या 1/21, 122, 179, 185, 896 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर एवं खाता सख्यां 248 मे दर्ज आराजी संख्या 283, 283/77 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व व कब्जेकाश्त की है जिसमे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 3/5 हक व हिस्सा तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का संयुक्त रूप से 1/5 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 5 से 9 प्रत्येक का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा निहित होकर सभी काश्तकार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। । अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 9 की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया व पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु विचाराधीन थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत होते हुए पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट कोटड़ी मे नियत की गई जिसमे उभय पक्षकारान उपस्थित नहीं थे फिर भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना प्रोपर राजीनामे के व बिना तस्दीक के राजीनामे के अनुसार निर्णित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नाम दर्ज हिस्से मे से 0.40 हैक्टेयर कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने व शेष आराजीयात का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा राजस्व रेकॉर्ड मे हक व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया।

सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने बिना अधिकार के उसका कोई हक व हिस्सा विवादित आराजीयात मे नहीं होते हुए मनगढंत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने उसका हिस्सा दिनांक 02.02.1985 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जिसकी लिखापढ़ी स्टॉम्प पर की थी। मौके पर उक्त आराजीयात पर विक्रय दिनांक से लगभग 30 वर्षो से ज्यादा समय से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। विक्रयशुदा कृषि आराजीयात पर प्रतिकूल कब्जा होने से अपीलांट खातेदार हो चुका है। उक्त तथ्यों का जवाबदावा प्रतिवादी अपीलांट ने काउंटर क्लेम के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे उसकी खरीदशुदा आराजीयात नहीं दी और अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने जल्दबाजी मे इन तथ्यों को व स्टॉम्प की लिखापढ़ी को नजरअंदाज कर जल्दबाजी मे निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की उपस्थिति होते हुए सभी पक्षकारान की उपस्थिति मानी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विवादित कृषि आराजीयात के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बंटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन होते हुए लोक अदालत मे नियत की गई जिसमे उभय पक्षकारान को सुना जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत के तहत लिखित राजीनामे के अनुसार होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री लिखित राजीनामे के अनुसार होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने जवाबदावा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया व उक्त पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी जिसे बिना सूचना दिए लोक अदालत मे नियत किया जाकर सभी पक्षकारान के उपस्थित नही होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए व राजीनामे मे यह अंकित किया गया कि मोहनलाल के हिस्से मे दर्ज भूमि प्रतिवादी अपीलांट के नाम दर्ज की जावे। उक्त राजीनामे मे प्रथमतया कांटछांट की गई व मूल आदेशिका मे भी कांटछांट कर सभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते हुए राजीनामे के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की है। राजीनामे का अवलोकन करने पर उक्त राजीनामा सभी पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। उक्त राजीनामे मे सभी पक्षकारान के हक हकूकों की बात अंकित नही की गई है व राजीनामे मे जो पक्षकार उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये गए है वह हस्ताक्षर भी संदिग्ध है व उनकी पहचान भी प्रोपर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना पाया जाता है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा राजीनामे के अनुसार जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 149/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)